संख्या: 28/2019/ 2363/12-2-2019-18/2017

प्रेषक,

जे0 पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2019

विषय: प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस.1000/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/ 2019-20 दिनांक 19 अगस्त, 2019 तथा शासनादेश संख्या-2111/12-2-2019-18/2017 दिनांक 26 जुलाई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान योजनान्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 6000.00 लाख की शेष धनराशि रू0 3000.00 (रूपये तीस करोड मात्र) की स्वीकृति नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके तत्काल आवश्यकता होने पर ही फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक में जमा नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान योजनान्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

8. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

9. वित्त (आय-व्ययक) अनुदान-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 28/2019/2363(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।
8. बजट प्रकोष्ठ (समाज कल्याण), उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 28/2019/2363/12-2-2019-18/2017 दिनांक 20 अगस्त, 2019 का

संलग्नक

अनुदान संख्या-81

2401- फसल कृषि कर्म

796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना

03- लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान

(धनराशि लाख रूपये में)

मद	स्वीकृत धनराशि
20- सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3000.00
योग:	3000.00

(रूपये तीस करोड मात्र)

(जे0 पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।